न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—5/2018 (2018/00115) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता मोती कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2—बालु पिता कस्तुर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1—गिरधारी पिता गोकल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सुखी पत्नी सुखा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बालुलाल पिता डालु कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
4—प्रेम पिता डालु पत्नी प्रेम कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
5—अणछी पिता डालु पत्नी भवरलाल कुमावत निवासी सुरास हाल सबलपुरा तहसील करेड़ा
6—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता प्रार्थीगण

संसोधित निर्णय

दिनांक 02.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की सायिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 4 में अंकित आराजी संख्या 287/2 रकबा 4 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की। उक्त अंकित प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 287/2 रकबा 4 बिस्वा के दक्षिण में विपक्षीगण एवं प्रार्थीगण की शामलाती साबिक आराजी संख्या 287/1 रकबा 3 बिस्वा किस्म गेमु आचा स्थित है। तहसील रायपुर में भू—प्रबन्ध होने से ग्राम सुरास में भी भू—प्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 287/2 रकबा 4 बिस्वा के नवीन नम्बर 408 रकबा 0.05 है0 व विपक्षीगण तथा प्रार्थीगण की शामलाती साबिक आराजी संख्या 287/1 रकबा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर 407 रकबा 0.03 है0 कायम किए गए। भू—प्रबन्ध के दौरान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा कायम किया परन्तु प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0 को नवीन नक्शे में मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए नवीन नक्शे में रकबा कम दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 408 की पूर्वी दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 407 को दर्ज कर दिया एवं नवीन नक्शे में उसका रकबा बढ़ा दिया जबकि मौके एवं साबिक नक्शे के अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 407 को आराजी संख्या 408 को दक्षिण [illegible] भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बिना विधिक आदेश के [illegible] में फेरबदल करने का अधिकार नही है परन्तु भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण की आराजियात को नवीन नक्शे में गलत रूप से अंकित किया है जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0 को नवीन नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने तथा विपक्षीगण की आराजी सख्या 407 रकबा 0.03 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार आराजी संख्या 408 के दक्षिण में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी कमांक 6 की और से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.12.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 17.12.2020 को पटवारी हल्का बागोलिया एवं भू.अ.नि. रायपुर द्वारा मौका निरीक्षण कर आदेश की पालना करनी चाही किन्तु सेवन से प्रार्थना पत्र आराजी संख्या 407 को आराजी संख्या 408 के दक्षिण पूर्वी दिशा में दर्ज कराने का अंकन हो गया था जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया किन्तु मौका निरीक्षण से पाया कि आराजी संख्या 407 के स्थान पर आराजी संख्या 408 व आराजी संख्या 408 के स्थान पर 407 स्थित है जिससे निर्णय में आराजी संख्या 408 को आराजी संख्या 407 के स्थान पर व आराजी संख्या 407 को आराजी संख्या 408 के स्थान पर मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने का संसोधन किया जाना न्यायोचित है उक्त त्रुटि की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 17.12.2020 को हुई जिससे रिव्यु प्रार्थना बिना किसी दुरभी सन्धि के प्रेषित किया गया जिससे पक्षकार को न्याय मिलेगा।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सुरास के आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु. आबादी प्रार्थी अम्बालाल पिता मोती, बालु पिता कस्तुर कुमावत के नाम दर्ज है व आराजी संख्या 407 रकबा 0.03 है0 भूमि प्रार्थी प्रार्थी अम्बालाल पिता मोती, बालु पिता कस्तुर कुमावत 3/4 व विपक्षी गिरधारी सुखा पिता गोकल 1/6, बालुलाल पिता डालु प्रेम अणछी पुत्रीया डालु 1/12 दर्ज रेकार्ड है नक्शे में आराजी आराजी संख्या 421 के पश्चिम में 407 व 407 के पश्चिम में 408 और 408 के पश्चिम में 312 अकिंत है जबकि आराजी संख्या 421 के पश्चिम व आराजी संख्या 406 के दक्षिण में प्रार्थीगण का पक्का मकान बना हुआ है जो आराजी संख्या 408 रकबा 0.05 है0 गै.मु. किस्म आबादी दर्ज होना चाहिये व आराजी संख्या 312 के पूर्व में प्रार्थी व विपक्षी की शामलाती भूमि आराजी संख्या 407 जो मौके पर खाली पड़ी हुई है [illegible] चाहिये। राजस्व नक्शे और मौके में भिन्नता है। मौके अनुसार आराजी [illegible] व आराजी संख्या 408 के स्थान पर 407 नक्शे में दर्ज होनी चाहिये। नवीन नक्शा [illegible] का प्रस्तुत किया जो मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

आराजी संख्या 407 व 408 में खातेदार कृषक है जिससे आराजी संख्या की पूर्ण जानकारी नही होने से प्रार्थना पत्र आराजी संख्या राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज की गई और न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जो राजस्व नक्शे को आधार मानते हुए रिपोर्ट पेश की गई जिसमें जिससे अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया और निर्णय की पालना में भूमि की नपती करने पर मौका स्थिति की जानकारी हुई जिसमें दौराने भू प्रबन्ध नम्बरदांजी के आराजी संख्या 407 के बजाय 408 व आराजी संख्या 408 के बजाय 407 दर्ज हो गये और उसी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पेश किया गया चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण को मौका स्थिति की जानकारी होते ही रिव्यु का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको अन्दर अवधि शुमार करते हुए एवं बीच की अवधि को कन्डोन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम सुरास के राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 407 रकबा 0.03 है0 भूमि दर्शा रखी है वो मौके अनुसार आराजी संख्या 408 के खातेदार की होने से आराजी संख्या 407 के स्थान पर आराजी संख्या 408 दर्ज करते हुए रकबा 0.05 है0 तक की भूमि को आराजी संख्या 408 दर्ज की जावे एवं वर्तमान आराजी संख्या 312 से पूर्व की ओर लगती हुई आराजी संख्या 408 दर्ज है उस भाग में आराजी संख्या 407 रकबा 0.03 है0 दर्ज की जावे ओर शेष रकबा 0.02 है0 भूमि आराजी संख्या 408 में शुमार करते हुए आराजी संख्या 407 व 408 के मध्य की सीमा निर्धारित की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

02-02-2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—5/2018 (2018/00115) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता मोती कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2—बालु पिता कस्तुर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1—गिरधारी पिता गोकल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सुखी पत्नी सुखा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बालुलाल पिता डालु कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
4—प्रेम पिता डालु पत्नी प्रेम कुमावत नि. सुरास तहसील रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
5—अणछी पिता डालु पत्नी भवरलाल कुमावत निवासी सुरास हाल सबलपुरा तहसील करेड़ा
6—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम सुरास के राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 407 रकबा 0.03 है0 भूमि दर्शा रखी है वो मौके अनुसार आराजी संख्या 408 के खातेदार की होने से आराजी संख्या 407 के स्थान पर आराजी संख्या 408 दर्ज करते हुए रकबा 0.05 है0 तक की भूमि को आराजी संख्या 408 दर्ज की जावे एवं वर्तमान आराजी संख्या 312 से पूर्व की ओर लगती हुई आराजी संख्या 408 दर्ज है उस भाग में आराजी संख्या 407 रकबा 0.03 है0 दर्ज की जावे ओर शेष रकबा 0.02 है0 भूमि आराजी संख्या 408 में शुमार करते हुए आराजी संख्या 407 व 408 के मध्य की सीमा निर्धारित की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

02.02.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested